

Order Sheet

न्यायालय-मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण रामगंजमंडी, जिला कोटा (राज.)
 एम.एस.सी. संख्या 25/2016, श्रीमती भैरी बाई बनाम कालू लाल

Order with initials of Presiding Officer

Brief note of
Compliance of
the Order

अधिवक्तागण पक्षकारान उपस्थित। अप्रार्थी सं.3 दी न्यू इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी लि० की ओर से दिनांक 01.12.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस गत पेशी पर सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी सं०3 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 14 एवं 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में क्लेमेट ने बिना नंबरी वाहन अल्टो कार 800 एनएक्सआई के चालक कालू लाल से एक्सीडेंट होना बताया है किन्तु क्लेमेट ने उक्त वाहन की दिनांक का तथाकथित वाहन के चालक का ड्राइविंग लाईसेंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन पत्रावली में पेश नहीं किया है। अतः उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन व वाहन चालक का ड्राइविंग लाईसेंस को तलब किया जावे तथा ड्राइविंग लाईसेंस की प्रतिलिपि अप्रार्थी नं० 3 को दिलवाई जावे। उनका यह भी निवेदन रहा कि यदि प्रार्थी नं०1 व 2 चालक के ड्राइविंग लाईसेंस की असल व रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की असल पेश नहीं करे तो यह माना जावे कि उनके पास तथाकथित बिना नंबरी वाहन अल्टो कार के दस्तावेज तथा चालक के पास दुर्घटना की दिनांक को उनके पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाईसेंस नहीं था।

उक्त प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी नं०2 ने जवाब नहीं देना चाहा।

बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी सं०3 ने बहस में अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया। अप्रार्थी सं०1 फौत हो चुका है तथा अप्रार्थी सं०2 ने मौखिक बहस में प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

अप्रार्थी सं०3 दी न्यू इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी प्रकरण में ड्राइवर कालू लाल से संबंधित ड्राइविंग लाईसेंस व वाहन मालिक अशोक कुमार बाबत रजिस्ट्रेशन दस्तावेज न्यायालय में तलब करवाना चाहा है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली में वाहन आल्टो कार 800 एनएक्सआई जिसके इंजन नंबर F8DN5569330 व चैसिस नंबर MA3EUA61500794247 का पंजीकरण दस्तावेजात व चालक कालू लाल का ड्राइविंग लाईसेंस प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त दस्तावेजात प्रकरण से सुसंगत दस्तावेजात हैं, अतः अप्रार्थी संख्या 2 को आदेशित किया जाता है कि उक्त दोनों दस्तावेजात कालूलाल अप्रार्थी संख्या 1 का ड्राइविंग लाईसेंस तथा उपरोक्त वाहन आल्टो कार 800 एनएक्सआई जिसके इंजन नंबर F8DN5569330 व चैसिस नंबर MA3EUA61500794247 का पंजीकरण प्रमाण पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करे तथा प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में उक्त संदर्भ में आदेश 11 नियम 14 सीपीसी बाबत शपथपत्र प्रस्तुत करे। पत्रावली वास्ते देखने पालना हेतु दिनांक 15/12/25 को पेश हो।

Noted
 [Signature]
 न्यायाधीश
 मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण
 रामगंजमंडी जिला-कोटा